

बिहार सरकार

## बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना-14.

विज्ञापन संख्या- बी.सी.ई.सी.ई.बी. (आई.टी.आई.सी.ए.टी)-2019/14 दिनांक- 04.11.2019

### औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा-2019

### Industrial Training Institute Competitive Admission Test (I.T.I.C.A.T.)-2019

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा (ITICAT)-2019 की पूर्व प्रकाशित मेधासूची के आधार पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में Online Counselling के माध्यम से हुए सीट आवंटन एवं नामांकन के पश्चात उन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अंतर्गत विभिन्न SCVT पाठ्यक्रमों में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध तृतीय Offline काउन्सेलिंग / साक्षात्कार हेतु आवश्यक सूचना :

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा (ITICAT)-2019 में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों / सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्यों तथा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ITICAT-2019 की पूर्व प्रकाशित जिलावार मेधासूची के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की online counselling के माध्यम से हुए सीट आवंटन एवं नामांकन के पश्चात् बिहार राज्य के सभी जिलों के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के SCVT पाठ्यक्रमों में संस्थानवार / कोटिवार रिक्तियाँ पर्षद की वेबसाइट [bceceboard.bihar.gov.in](http://bceceboard.bihar.gov.in) पर उपलब्ध करा दी गयी हैं। SCVT की इन सीटों को भरने हेतु तृतीय काउन्सेलिंग Offline होगा। रिक्तियों को देख कर अभ्यर्थी काउन्सेलिंग / साक्षात्कार में भाग लेने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिये Online Willingness दें। साथ ही साथ आई.टी.आई. संस्थानों के प्राचार्य अपने-अपने संस्थान की रिक्तियाँ Notice बोर्ड पर लगायेंगे। अभ्यर्थी उसे भी देख लें।
2. उपरोक्त कंडिका-1 के अनुसार रिक्तियों के विरुद्ध तृतीय काउन्सेलिंग के आधार पर पाठ्यक्रम / संस्थान आवंटन हेतु पात्रता निर्धारण के लिये विज्ञापन सं.- बी.सी.ई.सी.ई.बी. (आई.टी.आई.सी.ए.टी)-2019/05 दिनांक 02.06.2019 द्वारा पर्षद के वेबसाइट पर upload किये गए मेधासूची [जिसे अभ्यर्थी website के Home page पर "Download Rank Card of ITICAT-2019" link पर click कर अपना Roll No. एवं जन्म तिथि डालकर मेधाक्रम प्राप्त कर सकते हैं] में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी योग्य होंगे।
- 3(क). उपरोक्त कंडिका 2 के अनुसार योग्यता प्राप्त प्रत्येक उम्मीदवार आरक्षण कोटिवार अपना मेधाक्रम निम्नवत् प्रक्रिया से प्राप्त कर तदनुसार आई.टी.आई.सी.ए.टी.-2019 की उपरोक्त तृतीय काउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिये अपनी इच्छा व्यक्त करें।  
"पर्षद के वेबसाइट [bceceboard.bihar.gov.in](http://bceceboard.bihar.gov.in) के Home page पर जाकर "Willingness for ITICAT-2019 3rd Round Offline Counselling" के प्रावधान के अनुसार निर्देशित जगह पर आई.टी.आई.सी.ए.टी.-2019 का अपना रोल नं. एवं जन्म तिथि डाल कर मेधाक्रम की जानकारी ले लें।" इसके आधार पर यदि अभ्यर्थी कंडिका-1 में उल्लिखित काउन्सेलिंग में सम्मिलित होना चाहते हैं तो 'SUBMIT YOUR WILLINGNESS' बटन पर Click करें और उसका प्रिंट निकाल ले जिसपर उसका कोटिवार मेधा क्रम एवं Option ID अंकित होगा। इस प्रिंट को काउन्सेलिंग के समय लाना अनिवार्य होगा।
- (ख) उपरोक्त कंडिका-3 (क) में उल्लिखित प्रक्रियानुसार उपरोक्त काउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए दिनांक 05.11.2019 से दिनांक 12.11.2019 की अवधि में अपना Willingness को Online submit कर अपना जिला / कोटिवार मेधा क्रमांक एवं Option ID प्राप्त कर लेना आवश्यक है अथवा वे अपना दावा खो देंगे।
4. उपलब्ध रिक्तियों पर पुनर्आवंटन / नामांकन हेतु साक्षात्कार / काउन्सेलिंग कार्यक्रम दिनांक 15.11.2019 को पर्षद वेबसाइट / समाचार पत्रों के माध्यम से दे दिया जायेगा। Online Willingness देने वाले अभ्यर्थी दिनांक 15.11.2019 को प्रकाशित किये जाने वाले कार्यक्रम अनुसार ही काउन्सेलिंग हेतु पर्षद कार्यालय, आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना-14 में उपस्थित होंगे।
5. (क) उपरोक्त कंडिका-3 के अनुसार पात्रता-प्राप्त एवं निर्धारित तिथि तक उपरोक्त काउन्सेलिंग में भाग लेने हेतु Online Willingness Submit करने वाले पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों में से आवश्यकतानुसार उम्मीदवारों को उपरोक्त कंडिका-4 के अनुसार तृतीय काउन्सेलिंग / साक्षात्कार कार्यक्रम में भाग लेने के लिये जिला अनुसार कोटिवार सम्मिलित किया जायेगा, वे अपने कोटिवार काउन्सेलिंग तिथि / तिथियों को स्वयं साक्षात्कार में उपस्थित हों अन्यथा ऐसे उम्मीदवार उपरोक्त कंडिका-4 के अनुसार वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये काउन्सेलिंग कार्यक्रम में सम्मिलित होने एवं तदनुसार पुनर्आवंटन / आवंटन / नामांकन हेतु अपना दावा खो देंगे।  
(ख) विभिन्न संस्थानों में अद्यतन उपलब्ध रिक्तियों की पाठ्यक्रमवार, आरक्षण कोटिवार अद्यतन संख्या साक्षात्कार के समय देखी जा सकती है।
6. वैसे अभ्यर्थी जो ITICAT-2019 की प्रथम या द्वितीय चक्र की online counselling के माध्यम से किसी संस्थान में नामांकित हैं और संस्थान / व्यवसाय में परिवर्तन चाहते हैं वे भी दिनांक 05.11.2019 से दिनांक 12.11.2019 की अवधि में इस तृतीय काउन्सेलिंग हेतु Online Willingness Submit करेंगे, उनके लिए उस सम्बन्धित संस्थान के SCVT पाठ्यक्रमों की अद्यतन उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पुनर्आवंटन (Re Allotment) की सुविधा रहेगी।
7. साक्षात्कार एवं सीट आवंटन का कार्य बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कार्यालय, आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना-14 में सम्पन्न होगा।
8. (क) इस विज्ञापन की कंडिका-3(ख) के अनुसार काउन्सेलिंग हेतु पात्रता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को विवरण पुस्तिका के पृष्ठ-1 एवं 2 में उल्लिखित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत सभी निर्मांकित मूल प्रमाण पत्र/ दस्तावेज दो स्वसत्यापित छाया प्रतियों के साथ साक्षात्कार के लिये साथ लाना अनिवार्य है :  
(i) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का (क) मूल प्रवेश-पत्र, (ख) मूल अंक-पत्र तथा (ग) मूल/ औपबधिक प्रमाण-पत्र (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा-2019 का मूल प्रवेश पत्र (Admit Card) तथा उसमें लगाए गए फोटोग्राफ की छः अतिरिक्त

अभिप्रमाणित प्रतियाँ (iii) मूल जाति प्रमाण-पत्र (iv) मूल आवासीय प्रमाण-पत्र (v) चरित्र प्रमाण-पत्र (vi) विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 1 एवं 2 में वर्णित अन्य प्रमाण-पत्र, जहाँ लागू हों, यथा-भूतपूर्व सैनिक SMQ हेतु भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र आदि तथा विकलांगता कोटा DQ हेतु प्रमाण पत्र आदि। आरक्षित कोटि का लाभ लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने मूल निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल जाति प्रमाण पत्र साक्षात्कार / पात्रता सत्यापन के समय अवश्य जमा करें।

उपरोक्त मूल प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों में से जो मूल प्रमाण पत्र/ दस्तावेज उम्मीदवार द्वारा उस संस्थान में जमा हों जहाँ उसका नामांकन हुआ है तो उस संस्थान के प्राचार्य से उनके जमा होने और आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के समय अवश्य प्रस्तुत करें।

(ख) यदि उम्मीदवार का किसी आई.टी.आई. में नामांकन हो चुका है तो नामांकन शुल्क जमा करने की मूल रसीद तथा उस आई.टी.आई. के प्राचार्य से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उम्मीदवार उस आई.टी.आई. का **Bonafide** छात्र है और उसके सभी मूल प्रमाण-पत्र उस आई.टी.आई. के कार्यालय में जमा हैं। प्राचार्य के प्रमाण पत्र में उम्मीदवार का आई.टी.आई.सी.ए.टी.-2019 का रोल नं., मेधा क्रम तथा कोटि जिसके अन्तर्गत उसका नामांकन हुआ है, का भी उल्लेख रहना चाहिये।

9. आरक्षण के लागू प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वर्गों के जो उम्मीदवार सामान्य कोटि (Unreserved [UR]) की मेधा-सूची में सम्मिलित हैं, उनके रोल नम्बर (Unreserved [UR])कोटि की मेधा-सूची में तथा साथ ही उनकी संबंधित आरक्षित कोटि की मेधा- सूची में भी अंकित हैं। ऐसे उम्मीदवारों को नियमानुसार यह सुविधा रहेगी कि वे संस्थान/ पाठ्यक्रम के चुनाव में सामान्य कोटि (Unreserved [UR]) के मेधा क्रमांक पर कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार में अपनी आरक्षित कोटि का लाभ स्वेच्छानुसार ले सकते हैं। अतः आरक्षण कोटियों के वैसे अभ्यर्थी जो सामान्य कोटि (Unreserved [UR]) की मेधासूची में सम्मिलित हैं उनको अपने (Unreserved [UR]) मेधाक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को कॉउन्सेलिंग हेतु आना अनिवार्य है। अन्यथा उनके मेधाक्रम के नीचे के मेधाक्रम वाले अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित हो जायेंगी जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।
10. जो उम्मीदवार इस विज्ञापन की कंडिका-2 एवं कंडिका-3 के अनुसार इस कॉउन्सेलिंग कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये पात्रता प्राप्त (eligible) हैं उनको इस साक्षात्कार हेतु अलग से कॉउन्सेलिंग पत्र नहीं भेजा जा रहा है। ऐसे उम्मीदवारों ने यदि उपरोक्त कंडिका-3(क) के अनुसार निर्धारित तिथि तक कॉउन्सेलिंग कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए **Online Willingness submit** किया है तो वे इस सूचना के आधार पर उपरोक्त कंडिका-4 के अनुसार वेबसाइट से कॉउन्सेलिंग कार्यक्रम प्राप्त करने के बाद, निर्धारित तिथि एवं समय पर साक्षात्कार में निश्चित रूप से उपस्थित हों अन्यथा उनको अनुपस्थित मान लिया जायेगा जिसके लिये पर्थद उत्तरदायी नहीं होगा। जो उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक **Online Willingness submit** नहीं करेंगे, वे कॉउन्सेलिंग में भाग लेने के योग्य / हकदार नहीं होंगे।
11. मुद्रण अथवा टाइपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

परीक्षा नियंत्रक